



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



सीबीएसई/समन्वय/सत्या/कक्षा-XII/पूरक/2024

02.08.2024

सूचना

(पूरक परीक्षा - 2024, कक्षा XII)

पूरक परीक्षा - 2024 का परिणाम घोषित होने के साथ ही छात्रों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं :-

(I) अंकों का सत्यापन

(II) मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करना (स्कैन की हुई)

(III) उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन

वरिष्ठ विद्यालय प्रमाण-पत्र परीक्षा 2024 (कक्षा XII) के लिए पूरक परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अंकों के सत्यापन के लिए, मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका (पुस्तिकाओं) की फोटोकॉपी प्राप्त करने और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने हेतु विस्तृत कार्य-रीतियाँ निम्नलिखित हैं :

1. सभी प्रक्रियाओं के लिए निवेदन केवल ऑनलाइन और निर्दिष्ट अनुसूची/समय-सारणी के दौरान प्रसंस्करण शुल्क के साथ ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि और समय के बाद और ऑफलाइन मोड में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. प्रसंस्करण शुल्क केवल ऑनलाइन (क्रेडिट/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग) जमा किया जा सकता है। प्रसंस्करण शुल्क पोस्टल ऑफर /डीडी /मनी ऑफर/चेक/नकद आदि के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
3. अधूरे/ऑफलाइन आवेदनों को अभ्यर्थी के साथ बिना किसी पत्राचार के सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
4. ऑनलाइन प्रक्रिया में प्रति अभ्यर्थी प्रत्येक चरण के लिए केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
5. नियंत्रण से बाहर के कारणों के लिए, अंकों में परिशोधन के कारण या प्रक्रिया में देरी से उत्पन्न किसी भी परिणाम के लिए बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
6. एक अंक की कमी भी लागू होगी।
7. ऐसे मामलों में जहाँ अंकों में परिवर्तन (वृद्धि या कमी दोनों) होता है, ऐसे अभ्यर्थियों को मार्कशीट सह प्रमाण-पत्र जो उनके पास है, को जमा करना होगा। इसके बाद, उन्हें एक नया मार्कशीट सह प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।
8. प्रसंस्करण शुल्क अप्रतिदेय हैं।

(I) अंकों का सत्यापन

क) अनुसूची संलग्नक - I में दी गई हैं। प्रसंस्करण शुल्क प्रति विषय रु. 500/- है।

ख) अंकों के सत्यापन का परिणाम निम्नलिखित तरीके से अभ्यर्थी के उसी लॉगिन अकाउंट में सूचित किया जाएगा जहाँ से उसने सत्यापन के लिए आवेदन किया है :

(i) अंकों के सत्यापन का परिणाम सीबीएसई की वेबसाईट पर अभ्यर्थी के लॉगिन अकाउंट में अपलोड किया जाएगा। इस संबंध में कोई व्यक्तिगत संचार नहीं किया जाएगा।

(ii) अंकों में बदलाव के मामले में, प्रथम संचार किया जाएगा/होस्ट किया जाएगा कि अंकों में बदलाव (अंकों में वृद्धि/कमी) हुआ है।

(iii) इसके बाद, एक बार परिणाम की पुनर्गणना होने के बाद, अंकों की वास्तविक वृद्धि या वास्तविक कमी भी दी जाएगी/होस्ट की जाएगी।

(iv) सत्यापन अनुरोध की स्थिति के लिए आवेदकों को सीबीएसई की वेबसाईट देखने की सलाह दी जाती है।

ग) केवल वह अभ्यर्थी जो अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन करेंगे, वे उस/उन विषयों में उत्तर पुस्तिका की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

(II) मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए आवेदन

क) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने ऊपर निर्धारित तरीके से अंकों के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, वे मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

ख) कक्षा - XII के लिए प्रसंस्करण शुल्क प्रति विषय 700/- रुपए होगा। अनुसूची संलग्नक - 1 में दी गई है।

ग) अभ्यर्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया आवेदन और अधूरा आवेदन भी सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और जमा किया गया शुल्क बिना किसी संदर्भ के ज़ब्त कर लिया जाएगा।

घ) परीक्षक/मूल्यांकनकर्ता/परीक्षा प्रक्रिया से जुड़े किसी अन्य अधिकारी आदि की पहचान से संबंधित सभी सूचनाओं को अवरुद्ध करने के बाद मूल्यांकन की गई उत्तर पुस्तिका की स्कैन की गई प्रति अभ्यर्थियों को उनके लॉगिन अकाउंट में उपलब्ध कराई जाएगी।

ड) यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए दिए अंकों को चुनौती देना चाहता है, तो अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए उसे (अनुसूची के अनुसार) ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

(III) मूल्यांकन की गई उत्तर-पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन

क) केवल वे अभ्यर्थी जिन्होंने मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिका की छायाप्रति के लिए आवेदन किया है, वे पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने या किसी/किन्हीं प्रश्नों में दिए गए अंकों को चुनौती देने के लिए पात्र होंगे।

ख) पुनर्मूल्यांकन/चुनौती हेतु निवेदन केवल थ्योरी भाग के लिए प्रति प्रश्न 100 रुपए पर स्वीकार किए जाएंगे।

ग) आवेदक को संबंधित विषय में अंक योजना का संदर्भ लेना होगा जो प्रश्न पत्र सहित वेबसाईट पर उपलब्ध होगी। उसके बाद अभ्यर्थी तर्क सहित अपेक्षित प्रश्नों में पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन जमा करा सकते हैं।

घ) पुनर्मूल्यांकन की स्थिति वेबसाईट पर दर्शाई जाएगी और इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा औपचारिक संप्रेषण किया जाएगा।

ड) एक अंक की कमी भी लागू होगी।

च) पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा और पुनर्मूल्यांकन के विरुद्ध कोई अपील या समीक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी।

उपर्युक्त सभी तीनों गतिविधियों अर्थात् I, II और III के मामले में प्रदान किए गए अंकों पर बोर्ड का निर्णय अंतिम और अभ्यर्थियों के लिए बाध्यकारी होगा।

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्रदान की जाएगी। तथापि, सत्यापन और/या पुनर्मूल्यांकन का निवेदन सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है और स्वीकार्य नहीं होगा।

हस्ता/-

(संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक

प्रति : वेब प्रशासन को सीबीएसई की वेबसाईट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित

**वरिष्ठ स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए पूरक परीक्षा हेतु अंकों के सत्यापन, मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं
की छायाप्रति प्राप्त करने और पुनर्मूल्यांकन हेतु अनुसूची
(कक्ष XII) 2024**

क्र. सं.	गतिविधि	अवधि	शुल्क
अंकों का सत्यापन			
1.	ऑनलाइन आवेदन	06 अगस्त 2024 (मंगलवार) से 07 अगस्त 2024 (बुधवार) मध्यरात्रि 11:59:59 तक	रु. 500/- प्रति विषय
मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं की छायाप्रति प्राप्त करना			
2.	ऑनलाइन आवेदन	13 अगस्त 2024 (मंगलवार) मध्यरात्रि 11:59:59 तक	रु. 700/- प्रति उत्तर पुस्तिका
पुनर्मूल्यांकन			
3.	ऑनलाइन आवेदन	17 अगस्त 2024 (शनिवार) मध्यरात्रि 11:59:59 तक	रु. 100/- प्रति प्रश्न

ध्यान दें :- ऑनलाइन प्रक्रिया अवकाश के दिनों में भी की जा सकती है।